

-:आदेश:-

उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग लिपिकीय संवर्ग सेवा नियमावली-2014 में दिये गये प्राविधानानुसार विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति के आधार पर राज्य कर विभाग में कार्यरत निम्नलिखित प्रधान सहायकों (वेतन बैण्ड-2-9300-34800 सादृश्य ग्रेड वेतन 4200 / लेवल-6) को प्रशासनिक अधिकारी (वेतन बैण्ड-2-9300-34800 सादृश्य ग्रेड वेतन 4600 / लेवल-7) के पद पर पदोन्नति प्रदान करते हुए अग्रिम आदेशों तक उन्हें उनके वर्तमान तैनाती स्थान पर बनाये रखा जाता है:-

क्रम सं०	ज्ये० क्रमांक	कर्मचारी का नाम एवं पिता/पति का नाम श्री/श्रीमती/कु०	वर्तमान तैनाती/ जोन का नाम
01	02	03	04
01	1362	सुशील कुमार/ राम सनेही	प्रयागराज
02	1528	चन्द्रिका प्रसाद/ राम बहोर मौर्या	गाजियाबाद
03	1756	नाहिद परवीन/ जुबेर अहमद	मेरठ
04	1760	कमलेश कुमार वर्मा/ दया राम वर्मा	अयोध्या
05	1762	प्रवीण कुमार श्रीवास्तव/रुदेश नरायन	गाजियाबाद
06	1763	तरुण मोहित/ अम्बरीष शर्मा	बुलन्दशहर
07	1764	अनुज अग्रवाल/ मनमोहन अग्रवाल	मेरठ
08	1768	राजेश कुमार श्रीवास्तव/ बृज बिहारी लाल श्रीवास्तव	प्रयागराज
09	1769	प्रेम चन्द/ हनुमान प्रसाद	मुख्यालय

- उपरोक्त पदोन्नत कार्मिकों की तैनाती विभिन्न जोन / कार्यालयों में स्वीकृत पदों के सापेक्ष अलग से सुनिश्चित करायी जायेगी।
- उपरोक्त क्रमांक-01 (श्री सुशील कुमार, ज्येष्ठता क्रमांक-1362) पर अंकित कार्मिक की पदोन्नति माननीय न्यायालय में लम्बित वाद में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन तथा क्रमांक-02 (श्री चन्द्रिका प्रसाद, ज्येष्ठता क्रमांक-1528) पर अंकित कार्मिक को दिनांक 04-10-2021 से नोशनल पदोन्नति प्रदान की गयी है।। “ नो वर्क नो पे ” के सिद्धान्त के आधार पर उक्त नोशनल पदोन्नति के लिए इन्हें कोई एरियर आदि का भुगतान देय नहीं होगा।
- सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारियों को निर्देश दिये जाते हैं कि वह उपरोक्त पदोन्नत कर्मचारियों को पदोन्नति आदेश तामील कराते हुए उनके वर्तमान तैनाती स्थान पर ही प्रशासनिक अधिकारी के पद पर दिनांक 30-09-2023 तक कार्यभार ग्रहण कराये तथा यदि कोई कार्मिक किन्हीं कारणों से पदोन्नति के पद पर कार्यभार ग्रहण करने का इच्छुक न हो, तो उनसे उक्त आशय का पदोन्नति फोरगो प्रार्थना पत्र प्राप्त करके तत्काल अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराये।
- सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी/सम्भागीय अधिकारी कृपया यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि उपर्युक्त पदोन्नत कार्मिकों में से किसी कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के अर्न्तगत आरोप पत्र/नोटिस निर्गत हो,

सतर्कता जॉच/ई0ओ0डब्ल्यू0 जॉच चल रही हो तो ऐसे कार्मिक पर यह पदोन्नति आदेश प्रभावी न मानते हुए उन्हें कार्यभार ग्रहण न कराए और अधोहस्ताक्षरी को तत्काल सूचित करें।

6- वर्तमान में यदि कोई कर्मचारी स्तम्भ-4 में अंकित स्थान से स्थानान्तरित हो गया हो तो उसकी वर्तमान तैनाती का स्थान तदनुसार संशोधित मानकर सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी अपने स्तर से सम्बन्धित कर्मचारी को इस पदोन्नति आदेश की एक प्रति तामील कराते हुये कार्यभार ग्रहण करायेंगे और इसकी सूचना मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

हो

(ओ0पी0वर्मा)

अपर आयुक्त, राज्य कर,
प्रभार अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक // उक्त।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- जोनल अपर आयुक्त, राज्य कर, प्रयागराज, गाजियाबाद प्रथम/द्वितीय, मेरठ, अयोध्या।
- 3- संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) राज्य कर, सम्भाग ए/बी प्रयागराज, सम्भाग ए/सी गाजियाबाद, सम्भाग ए/बी मेरठ तथा सम्भाग ए अयोध्या।
- 4- संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराये जाने हेतु।
- 5- सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- 6- उपायुक्त (प्रशासन)/सहायक आयुक्त (ए)/आहरण वितरण अधिकारी, राज्य कर, प्रयागराज, गाजियाबाद, मेरठ, अयोध्या, बुलन्दशहर।
- 7- पटल प्रभारी 4(क), 4(ख), 4(ग), 4(घ), स्था-6 (सामान्य), चरित्र पंजिका सेल (स्था0अराज0) राज्य कर, मुख्यालय।
- 8- सम्बन्धित कर्मचारियों को (नाम से)।

दिनेश

(दिनेश कुमार वर्मा)

संयुक्त आयुक्त (स्था0अराज0) राज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।